दिनांक :—28.05.18

निर्णय

1. वादीगण की ओर यह वाद पत्र अधिकार घोषणा एवं बंटवारा भूमि का दि. 5.03.18 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया।

2. वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम छपावदा पटवार क्षैत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी की कृषि भूमि खेवट खतोनी सं. नई 57 पुरानी 62 की कृषि भूमि ख.सं. 80 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, ख.सं. 185 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा, ख.सं. 186 रकबा 8 बिस्वा, ख.सं. 257 रकबा 19 बिस्वा, ख.सं. 294 रकबा 4 बिस्वा, ख.सं. 431 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, ख.सं. 442 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख. सं. 443 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 42 बीघा 11 विस्थित है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 छीतरलाल जी के खातेदारी में दर्ज है उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी है। उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी पैतृक सम्पति होने से वादीगण को जन्म से कानूनन हक व अधिकार निहित होने से वादीगण पारिवारिक समझौते बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर शान्ति पूर्वक तरीके से काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण निरन्तर बेरोकटोक, निर्बाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई आय का एवं जीवीकोपार्जन का साधन नही है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि का कानूनन विधिक बंटवारा आज तक पक्षकारान के मध्य नही हुआ है। जिसकी वजह से आये दिन वादीगण को भारी परेशानी होती है। उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 1 गुपचुप तरीके से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को बेचान कर रहा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के मध्य निम्नानुसार बंटवारे की डिक्री फरमाई जावे– वादी सं. 1 लाकेश मीणा के हक में खसरा सं. 80 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में से 5 बीघा 10 बिस्वा पश्चिमी दिशा वाली, खसरा सं. 185 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा में से 4 बीघा 18 बिस्वा उत्तर दिशा वाली, खसरा सं. 186 रकबा 8 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं. 442 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा पश्चिमी दिशा वाली, कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा को राजस्व रिकार्ड में बंटवारा की डिक्री प्रदान कर वादी सं. 1 का नाम अंकन किया जावे। वादी सं. 2 विक्रम मीणा के हक में ख.सं. 80 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में से 5 बीघा 10 बिस्वा मध्य वाली, खसरा सं. 185 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा में से 5 बीघा 6 बिस्वा मध्य वाली, खसरा सं. 442 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 3 बिस्वा पूर्व दिशा वाली, खसरा सं. 443 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से 10 बिस्वा पश्चिमी दिशा वाली, कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा को राजस्व रिकार्ड में बंटवारा की डिक्री प्रदान कर वादी सं. 2 का नाम अंकन किया जावे एवं खातेदारी अधिकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं. 5 मनीष मीणा के हक में खसरा सं. 80 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में से 5 बीघा 11 बिस्वा पूर्व दिशा वाली, खसरा सं. 185 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा में से 5 बीघा 5 बिस्वा दक्षिणी वाली, खसरा सं. 443 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से 1 बीघा 12 बिस्वा पूर्वी दिशा वाली, कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा को राजस्व रिकार्ड में बंटवारा की डिक्री प्रदान कर प्रतिवादी सं. 5 का नाम अंकन किया जावे एवं

अधिका... ...लेडा

Scanned by CamScanner

खातेदारी अधिकार घोषित करे। प्रतिवादी सं. 1 छीतरलाल मीना के हक में खसरा सं. 257 रकबा 19 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा सं. 294 रकबा 4 बिस्वा सम्पूर्ण, ख.सं. 431 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा सम्पूर्ण, कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा को राजस्व रिकार्ड में बंटवारा की डिक्री प्रदान कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम अंकन किया जावे एवं खातेदारी अधिकार घोषित करे।

3. वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा अपने जवाब में वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 10 में वर्णित इबारत को स्वीकार किया तथा वादीगण का वाद, वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार निर्णय व डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नही की गई। प्रतिवादी सं. 6 ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमें वादपत्र को आंशिक स्वीकार किया गया। वादीगण की और से साक्ष्य में पी.डब्लयू 1 लोकेश मीणा, पी.डब्लयू 2 विक्रम मीणा के शपथ पत्र पेश किये। वाद पत्र व जवाब दावा प्रस्तुत होने पर पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया गया। क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा वादीगण के वाद पत्र का ईकबालिया जवाब पेश कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया जाता हैं तो स्वीकृति के आधार पर निर्णय किये जाने सम्बंधी विधि का अवलोकन करें जो इस प्रकार है:–

4- " Order 12 rule 6 c.p.c"

5- {Rule 6 Judgment on admissions-(i) Where admissions of fact have been made either in the pleading or otherwise whether orally or in writing the court may at any stage of the suit, either on the application of any party or its Own motion and without waiting for the determination of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit having regard to such admiration}

6. आर.बी.जे (5) 1998 पी.एन. 615

7. उपरोक्त न्यायिक नजीर में प्रतिपादित सिद्धांतो तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की स्वीकृति के आधार पर वादी सं. 1 लाकेश मीणा के हक में खसरा सं. 80 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में से 5 बीघा 10 बिस्वा पश्चिमी दिशा वाली खसरा सं. 185 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा में से 4 बीघा 18 बिस्वा उत्तर दिशा वाली खसरा सं. 186 रकबा 8 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा सं. 442 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा पश्चिमी दिशा वाली कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा का खातेदार घोषित किये जाने एवं बंटवारा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। वादी सं. 2 विक्रम मीणा के हक में ख.सं. 80 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में से 5 बीघा 10 बिस्वा मध्य वाली खसरा सं. 185 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा में से 5 बीघा 6 बिस्वा मध्य वाली खसरा सं. 442 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 3 बिस्वा पूर्व दिशा वाली खसरा सं. 443 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से 10 बिस्वा पश्चिमी दिशा वाली कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा का खातेदार घोषित किये जाने एवं बंटवारा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। प्रतिवादी सं. 5 मनीष मीना के हक में खसरा सं. 80 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में से 5 बीघा 11 बिस्वा पूर्व दिशा वाली खसरा सं. 185 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा में से 5 बीघा 5 बिस्वा दक्षिणी वाली खसरा सं. 443 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से 1

Scanned by CamScanner

घा 12 बिस्वा पूर्वी दिशा वाली कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा का खातेदार घोषित किये जाने एवं बंटवारा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 छीतरलाल मीना के हक में खसरा सं. 257 रकबा 19 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा सं. 294 रकबा 4 बिस्वा सम्पूर्ण ख.सं. 431 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा सम्पूर्ण कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा का खातेदार घोषित किये जाने एवं बंटवारा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। तद्नुसार बंटवारा कराये जाने का अधिकारी पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक रूप से निम्नानुसार डिकी किया जाता हैं। वादी सं. 1 लाकेश मीणा के हक में खसरा सं. 80 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में से 5 बीघा 10 बिस्वा पश्चिमी दिशा वाली खसरा सं. 185 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा में से 4 बीघा 18 बिस्वा उत्तर दिशा वाली खसरा सं. 186 रकबा 8 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा सं. 442 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा पश्चिमी दिशा वाली कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा का खातेदार घोषित किया जाता है। वादी सं. 2 विक्रम मीणा के हक में ख.सं. 80 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में से 5 बीघा 10 बिस्वा मध्य वाली खसरा सं. 185 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा में से 5 बीघा 6 बिस्वा मध्य वाली खसरा सं. 442 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 3 बिस्वा पूर्व दिशा वाली खसरा सं. 443 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से 10 बिस्वा पश्चिमी दिशा वाली कुल किता 4 कुल रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 5 मनीष मीना के हक में खसरा सं. 80 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा में से 5 बीघा 11 बिस्वा पूर्व दिशा वाली खसरा सं. 185 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा में से 5 बीघा 5 बिस्वा दक्षिणी वाली खसरा सं. 443 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से 1 बीघा 12 बिस्वा पूर्वी दिशा वाली कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 छीतरलाल मीना के हक में खसरा सं. 257 रकबा 19 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा सं. 294 रकबा 4 बिस्वा सम्पूर्ण ख.सं. 431 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा सम्पूर्ण कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम छपावदा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार माप व सीमांकन के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करे। तद्नुसार प्राथमिक डिकी पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेश ...) उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner